373

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्य प्रदेश.

निगरानी प्रकरण क्रं. :- निगरानी 492-I-15 सन् 2015.

1. किशुनलाल पटेल
2. कारेलाल पटेल पुत्रगण बसन्ता पटेल
3. श्रीमती मुलिया पुत्री रामप्रसाद पत्नी बसन्ता पटेल, समस्त निवासीगण ग्राम मनकारी तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर म.प्र. .. निगरानीकर्ता आवेदकगण

श्री विनोद भार्गव द्वारा आज दि. 9-3-15 को प्रस्तुत। 9-3-15 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. गन्नू पटेल तनय बुलुआ पटेल
2. राजाराम तनय लच्छू पाल
निवासीगण ग्राम मनकारी तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर म.प्र.
3. म.प्र. शासन .. ..अनावेदकगण

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 9-3-2015

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 05.11.2014 प्रकरण क्रमांक- 08/अ-12/13-14, न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय, महाराजपुर तह0 महाराजपुर जिला छतरपुर म.प्र.।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता.

महोदय,

निगरानीकर्ता/आवेदकगण सादर निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं:-

1. यह कि भूमि खसरा नम्बर 447 रकबा 0.121 हेक्टयर स्थित मौजा मनकारी (बडी पट्टी) तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर में आवेदकगण का हिस्सा 1/2 रकबा 0.060 हेक्टयर है । उक्त भूमि आवेदकगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है एवं उक्त भूमि आवेदक क्रं. 3 श्रीमती मुलिया को उत्तराधिकार में अपने पिता रामप्रसाद पटेल निवासी म पुर से प्राप्त हुई है । उक्त खसरा नंबर का शेष रकबा मुस.मुलिया हरैइया को प्राप्त हुआ था तदनुसार उक्त खसरा नंबर पर आवेद

रत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग.-492-एक/2015 जिला-छतरपुर

किशुन लाल पटेल आदि विरूद्ध गन्सू पटेज आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री विनोद भार्गव उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायालय राजस्व निरीक्षक महाराजपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 08/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 05-11-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 4. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 09/01/19 सदस्य	